न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 194/23 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (RCMS No.2023/214)

1. मदनलाल पुत्र श्री गंगाविसन जाति गुर्जर निवासी भैडौली तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर।
2. देवलाल पुत्र ग्यारस्या जाति गुर्जर निवासी भैडौली तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर।
3. गोकुल पुत्र ग्यारस्या जाति गुर्जर निवासी भैडौली तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी चौथका बरबाडा दिनांक 1.06.2017 मु0नं0 1/2014 उनवान सरकार बनाम मदनमोहन वगैर निर्णय दिनांक 1.6.2017

उपस्थितिः–

श्री श्यामसुन्दर शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी चौथ का बरबाडा के निर्णय दिनांक 1.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2017 राजस्व लोक अदालत कैम्प एवं न्याय आपके द्वार कैम्प भैडोला तहसील चौथ का बरवाडा में पारित किया गया है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश कर तहत अदालत के समक्ष निवेदन किया कि सम्वत 2044–47 की जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या जिम्मन नं0 के अनुसार खसरा नम्बर 106/1 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई थी बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 287 रकबा 0.09 है0, 288 रकबा 0.30 है0 व 297/710 रकबा 0.18 है0 बनाकर उक्त भूमि की किस्म बंजड वारानी व चाही 3 अंकित कर दिया है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई अंकित की जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 287, 288, 297/710 की किस्म बंजड वारानी, चाही 3 को शुद्ध किया जाकर गैर मुमकिन तलाई दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। उपजिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.09 है0 खसरा नम्बर 288 रकबा 0.30 है0, खसरा नमबर 297/710 रकबा 0.18 हैक्टे0 है, जो किस्म जमीन बंजड वारानी व चाही – 3 है। उपरोक्त भूमि की किस्म बिना किसी साक्ष्य सबूत के किस्म गै0मु0 तलाई करने का गलत आदेश पारित किया है। खसरा नम्बर 287, 288, 297 में स्थित कुल भूमि 0.54 है0 वाकै ग्राम भैडोली में ग्राम भैडोली के कुल देवता का स्थान है जिसे सम्पूर्ण ग्राम लोक देवता के रूप में पूजता है और लोकदेवता के रूप में मानते है। अपीलान्टस इस लोकदेवता के पुजारी हैं। हर बार त्योहार को हम व ग्रामवासी इसकी पूजा करते है और आस–पास के ग्राम के लोग भी इसे पूजने के लिये आते है इस स्थान पर कभी भी तलाई नहीं रही है। वरवक्त ठिकाना चौथ का बरवाडा के जमाने में भी पुराने खसरा नम्बर 106 के पूर्व के नम्बर सिवायचक दर्ज रहे है। रिकार्ड में गै0मु0 तलाई कभी दर्ज नहीं रहा है नाही मौके पर तलाई है यहां पानी नहीं भरता है चौरस मैदान है जिन्हें हम भोपा लोग ही लोक देवता की सेवा पूजा करके पूजते हुये चले आ रहे हैं और इस भूमि में पैदा करके लोक देवता की पूजा का खर्चा करते है। तहत अदालत ने अपीलान्टस के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय किया है। अपीलाधीन निर्णय का पता पटवारी हल्का के पास दिनांक 17.12.2020 को जाने पर लगा। जानकारी होते ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय की नकल मिलने के अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। फिर भी अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति सिवायचक दर्ज की जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 01.01.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.12.2020 को पटवारी हल्का भेडोला के पास जाने पर होने पर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नकल प्राप्त करने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार भूमिधारी द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा के न्यायालय में आम जनता ग्राम पंचायत भेडोला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 व सम्वत् 2067 से 2070 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें साविक खसरा नंबर 106/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। जिसके नये खसरा नम्बरान 287, 288 व 297/710 में उपरोक्त भूमि को बंजर दर्ज किये जाने का उल्लेख है। अदालत मातहत में अपीलान्ट संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया गया है। उसके बाद विद्वान उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया है। उक्त निर्णय में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह माना है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई थी। जिसको बंदोबस्त विभाग द्वारा बंजड बारानी व चाही दर्ज की गई है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नंबर 287, 288 व 297/710 की किस्म बंजड बारानी चाही के स्थान पर गैर मुमकिन तलाई दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्वान उप जिला कलक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड का भलीभांति अवलोकन व परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया है। इसलिए इस निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर